न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.)

– कार्य विभाजन आदेश –

क्रमांकः सी.जे.एम./2026 **कोरबा, दिनांक 22-06-2026**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दाण्डिक कार्य-विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेशों/ज्ञापनों को निरस्त करते हुए सिविल जिला- कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दाण्डिक प्रकरण एवं कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जा रहा है, जो कि **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय**, कोरबा के अनुमोदन पश्चात् प्रभावशील होगाः-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेटो के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1	2	3	4
1.	कु० मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन रामपुर** (चौकी **सीएसईबी** सहित, **यातायात, सिटी कोतवाली (चौकी मानिकपुर सहित), आर०टी०ओ०, जिला- कोरबा (छ.ग.)**	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग बालको से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नाप- तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, मण्डी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961 तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उद्भुत होने वाले निम्न अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करनाः- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1994. (2) विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 (3) कंपनी अधिनियम 2013 (4) धनकर अधिनियम 1957 (5) दानकर अधिनियम 1958

			(6) आयकर अधिनियम 1961 (7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (8) निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 (9) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 (10) एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक अधिनियम 1969. (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (12) खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 **(4)** कोरबा रेंज, बालको रेंज एवं लेमरू रेंज से उद्भुत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन एवं वन्य जीव संबंधित **परिवाद प्रकरणों** का निराकरण करना। **(5)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खातमा** आवेदन का निराकरण करना। **(6)** जिला- कोरबा में वर्णित समस्त थानों के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खारिजी** आवेदन का निराकरण करना। **(7)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **परिवाद पत्र एवं 156 (3) द.प्र.सं./धारा 175** BNSS के प्रकरणों का निराकरण करना। **(8)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(9)** माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 8198/II-6-2/2020(MP/ MLA) /Checker बिलासपुर दिनांक 19-09-2020 के आदेशानुसार **MP/MLA** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(10)** कोरबा जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत/उत्पन्न **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले का निराकरण करना। **(11) ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम**

			(पाबंदी) अधिनियम 1978 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। **(12) क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले** का निराकरण करना। **(13)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे गए एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
2-	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	आरक्षी केन्द्र- **उरगा, बालको नगर (चौकी रजगामार सहित)**	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों** का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **परिवाद पत्र एवं 156 (3) द.प्र.सं./धारा 175** BNSS के प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, बालको, आबकारी वृत्त आंतरिक, शहरी एवं दक्षिण से उत्पन्न होने वाले **स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985** के तहत अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, बालको से उद्भूत होने वाले ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, का निराकरण करना। **(5)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खात्मा** प्रकरण का निराकरण करना। **(6)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** का निराकरण करना। **(7)** कोरबा के रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के ऐसे प्रकरण जिन्हें माननीय अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः विचारण हेतु

			प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा ऐसे रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। **(8)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(9)** ऐसे मामले जिनके संबंध में **किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** में बालको के विरूद्ध होने वाले अपराधों का न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण करने संबंधी प्रावधान है। **(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा** द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
3-	कु. डॉली ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	आरक्षी केन्द्र लेमरू, जिला कोरबा (छ०ग०)	**(1)** स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों** का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **परिवाद पत्र एवं 156 (3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(4)** ऐसे मामले जिनके संबंध में **किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** में बालको के विरूद्ध होने वाले अपराधों का न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण करने संबंधी प्रावधान है। **(5)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय

			सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना। **(6)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खातमा** प्रकरण का निराकरण करना।
4-	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	आरक्षी केन्द्र-आबकारी वृत्त कोरबा, दक्षिण, शहरी आंतरिक, महिला आरक्षी केन्द्र कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०)	**(1) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरण** तथा **परिवाद पत्र एवं 156 (3) द.प्र.सं./ धारा 175 BNSS** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, बालको, महिला आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र/चौकी के द्वारा प्रस्तुत समस्त **खात्मा** प्रकरणों का निराकरण करना। **(5)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** का निराकरण करना। **(6)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(7)** ऐसे मामले जिनके संबंध में **किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** में बालको के विरूद्ध होने वाले अपराधों का न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण करने संबंधी प्रावधान है। **(8)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय

			सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
5-	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	आरक्षी केन्द्र साईबर कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०)	**(1) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।** **(2) आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, बालको, महिला आरक्षी केन्द्र एवं सारईबर आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS के समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।** **(3)** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, बालको से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act **1994** के मामलों का निराकरण करना। **(4)** स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **परिवाद पत्र एवं** धारा 156 (3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS के प्रकरणों का निराकरण करना। **(5)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खातमा** प्रकरण का निराकरण करना। **(6)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** का निराकरण करना। **(7)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(8)** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, बालको, महिला आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के समस्त प्रकरण का निराकरण करना।

			(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
6-	कु० तृसी राघव न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा	-	**(1)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।
7-	कु० ग्रेसी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा	-	**(1)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।
8-	श्री लोकेश पटले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र कटघोरा (चौकी जटगा सहित), बांगो (चौकी मोरगी सहित)	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS के प्रकरणों** का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित थानों के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खात्मा** प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे। **(5)** आरक्षी केन्द्र कटघोरा, बांकीमोंगरा, दीपका से उद्भूत होने वाले **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के समस्त प्रकरण का निराकरण करना। **(5)** कटघोरा रेंज, ऐतमानगर रेंज, जटगा रेंज, पसान रेंज, केंदई रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले वन संबंधी समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। **(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक**

			मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
9-	कु. रंजू वैष्णव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, कुसमुण्डा (सर्वमंगला चौकी)	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द.प्र.सं./ धारा 175 BNSS** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(2)** आरक्षी केन्द्र कटघोरा, कुसमुंडा, दर्री, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका एवं पसान आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त **धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS** के प्रकरण का निराकरण एवं परिवाद प्रकरण का निराकरण करना। **(3)** आरक्षी केन्द्र कटघोरा, कुसमुंडा, दर्री, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका एवं पसान से उद्भूत होने वाले **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के समस्त प्रकरण। **(4)** स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित थानों एवं आरक्षी केन्द्र कटघोरा, दर्री, दीपका, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो एवं पसान से उत्पन्न **Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994** के अपराध के मामलों का निराकरण करना। **(6)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित थानों के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खात्मा** प्रकरणों का निराकरण करना। **(7)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(8)** स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित **थानों** से एवं आबकारी वृत्त कटघोरा, बांकीमोंगरा, दीपका व गेवरा से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(9)** कोरबा के रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के ऐसे प्रकरण जिन्हें माननीय अपीलीय अथवा

			पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हों अथवा ऐसे **रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण**। **(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा** द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
10.	कु० प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र-पसान (चौकी कोरबी सहित), दीपका	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS के प्रकरणों** का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित थानों तथा बांकीमोंगरा, कटघोरा, दीपका, दर्री, पसान, बांगो एवं आबकारी वृत्त कटघोरा, बांकीमोंगरा, दीपका व दर्री-गेवरा से उद्भूत होने वाले **स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अल्पमात्रा से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण**। **(3)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित थानों तथा बांकीमोंगरा, कटघोरा, दीपका, पसान, बांगो से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नाप-तौल अधिनियम, मण्डी अधिनियम तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित थानों तथा आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, कटघोरा, दीपका, दर्री, पसान, बांगो से उद्भूत होने वाले **ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940** के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, का निराकरण करना। **(5)** आरक्षी केन्द्र कुसमुण्डा एवं बांगों से उद्भूत होने वाले **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के

			समस्त प्रकरण का निराकरण करना। **(6)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित थानों के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खात्मा** प्रकरणों का निराकरण करना। **(7)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(8)** स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे। **(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा** द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
11.	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र- दर्री	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS के प्रकरणों** का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भा.द.सं. एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 BNS को छोड़कर)** **(2)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नाप-तौल अधिनियम, मण्डी अधिनियम तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र दर्री से उद्भूत होने वाले **ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940** के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, का निराकरण करना। **(4) आरक्षी केन्द्र दर्री, पसान से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरण का निराकरण करना।** **(5)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खात्मा** प्रकरणों का निराकरण करना।

			(6) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(7)** स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे। **(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा** द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
12.	श्री हेमंत राज ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला	आरक्षी केन्द्र करतला, श्यांग	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS के प्रकरणों** का निराकरण करना। **(2)** स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग. आबकारी अधिनियम** से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे। **(3)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नाप-तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अल्प मात्रा से संबंधित अपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, का निराकरण करना। **(5)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **परक्राम्य लिखत अधिनियत 1881 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के समस्त प्रकरण का निराकरण करेंगे।

			(6) स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित थानों के अंतर्गत उद्भूत समस्त **खात्मा** प्रकरणों का निराकरण करना। **(7)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न **Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994** के मामलों का निराकरण करना। **(8)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(9) करतला रेंज, कुदमुरा रेंज तथा पशरखेत रेंज** से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन संबंधी परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। **(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा** द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
13.	कु० शोआ मंसूर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाली	आरक्षी केन्द्र-पाली (चौकी चैतमा सहित), हरदीबाजार	**(1)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले **आपराधिक प्रकरणों तथा परिवाद पत्रों एवं धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175 BNSS के प्रकरणों** का निराकरण करना। **(2)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले छ०ग० आबकारी अधिनियम, 1915 के मामलों का निराकरण करना। **(3)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नाप-तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। **(4)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

			अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **(5)** स्तंभ क्रमांक- 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, का निराकरण करना। **(6)** स्तम्भ क्रमांक- 3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन। **(7)** स्तंभ क्रमाक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के मामलों का निराकरण करना। **(8)** स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों/चौकी से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रकरणों का निराकरण करना। **(9)** पाली रेंज एवं चैतमा रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन संबंधी परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। **(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा** द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किए गए समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।

— :: आवश्यक टीप ::—

(1) किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य **तालिका क्रमांक-01** के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड कोरबा की प्रत्येक सप्ताह में गुरूवार को किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में बैठक होने के कारण उक्त दिनों में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई के प्रकरणों का निराकरण **तालिका क्रमांक-01** के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

(4) धारा- 164 द०प्र०सं०/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को **तालिका क्रमांक-02** के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जाएगा। तालिका क्रमांक-02 के अनुसार यदि कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर चला जाता है तो उसके नाम के आगे बढ़ते हुए क्रम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के धारा- 164 द०प्र०सं०/183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संस्वीकृतियों/कथन दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारित वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किए जाएंगे।

(6) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(7) अवकाश में अथवा मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्टेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व देंगे।

(8) श्री हेमंत राज ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला एवं कु० शोआ मंसूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली के द्वारा प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी आवश्यक कार्य का संपादन किया जावेगा और मुख्यालय कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कटघोरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड संबंधी विविध आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कोरबा द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।

(9) तालिका क्रमांक-1 एवं तालिका क्रमांक-2 में दिए गए क्रमांक एवं विशिष्टियों को उनके निरंतरता के क्रम (बढ़ते हुए क्रम) में पढ़ा जाएगा।

(10) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर से संबंधित प्रकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा (छ.ग.) में स्थापित है। गुरुवार को छोड़कर शेष कार्य दिवस का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का रिमाण्ड प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य/नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत होगा।

(कु० मयूरी गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.)

तालिका कमांक–01

(अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन)

क्र.	स्तम्भ क्र0–01	स्तम्भ क्र0–02	स्तम्भ क्र0–03	स्तम्भ क्र0–04	स्तम्भ क्र0–05
1.	कु. मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
2.	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा
3.	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा
4.	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा
5.	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. मयूरा गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा
6.	कु. तृप्ती राघव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा	कु. ग्रेसी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
7.	कु. ग्रेसी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा	कु. तृप्ती राघव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
6.	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
7.	कु. रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग.)
8	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु.कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग.)
9	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग.)
10	कु. शोआ मंसूर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
11	श्री हेमंत राज ध्रुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा

तालिका कमांक–02

(धारा–164 द.प्र.सं./धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना)

क0	स्तम्भ क0–01 थाना	स्तम्भ क0–02	स्तम्भ क0–03	स्तम्भ क0–04	स्तम्भ क0–05
1.	सिविल लाईन रामपुर (चौकी सीएसईबी सहित)	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
2.	आरक्षी केन्द्र बालको (चौकी रजगामार सहित)	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
3.	आरक्षी केन्द्र कोतवाली (चौकी मानिकपुर सहित)	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
4.	आरक्षी केंद्र उरगा	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा
5.	आरक्षी केंद्र लेमरू	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा
6.	आरक्षी केंद्र उरगा, कोतवाली, बालको नगर, करतला, श्यांग, लेमरू, रामपुर से उत्पन्न **धारा–354, 509 भा.दं.स.एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले।**	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
7.	आरक्षी केंद्र महिला थाना कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा
8.	थाना सायबर, कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
9.	आरक्षी केंद्र करतला, श्यांग	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
10.	आरक्षी केंद्र कुसमुण्डा	कु. प्रेरणा वर्मा,	श्री लोकेश पटले,	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	कु. शोआ मंसूर,

	(चौकी सर्वमंगला सहित), दर्री	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रेणी कटघोरा	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली
11.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, बांगो से उत्पन्न	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. शोआ मंसूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली
12.	आरक्षी केंद्र बांकीमोंगरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. शोआ मंसूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली
13..	आरक्षी केंद्र पाली, हरदीबाजार	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
14.	आरक्षी केंद्र पसान, दीपका	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु. शोआ मंसूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली
15.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, बालको नगर, उरगा, अजाक, लेमरू, महिला थाना एवं सायबर थाना से उत्पन्न **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले।**	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
16.	आरक्षी केंद्र करतला, श्यांग से उत्पन्न **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले एवं किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में पेश होने वाले सभी प्रकरण।**	श्री हेमंत राज ध्रुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. डॉली ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा
17.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, बालको नगर, उरगा, अजाक, लेमरू से उत्पन्न किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में पेश होने वाले सभी प्रकरणों में।	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री हेमंत राज ध्रुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला

18.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान से उत्पन्न **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले एवं किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में पेश होने वाले सभी प्रकरण।**	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
19.	आरक्षी केंद्र पाली, हरदीबाजार से उत्पन्न **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले एवं किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में पेश होने वाले सभी प्रकरण।**	कु. शोआ मंसूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाली	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
20.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली, हरदीबाजार से उत्पन्न **धारा–354, 509 भा.दं. स.एवं धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले।**	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. शोआ मंसूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली कोरबा

स्थान :– कोरबा
दिनाँक :– 22/06/2026

22/06/2026

(कु. मयूरा गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ.ग.)

Principal District & Sessions Judge
Korba (C.G.)

– विविध आदेश –

कोरबा जिला स्थापना में आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के एन0डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामाग्री की **नमूना लिये जाने एवं इन्वेंट्री तैयार किये जाने** के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा–

क0	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्रों के नाम
01	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	सिटी कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, महिला थाना
01.	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	उरगा, बालको, करतला एवं श्यांग, सायबर थाना
02.	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	यातायात, लेमरू आबकारी वृत्त कोरबा, आंतरिक, शहरी, दक्षिण,
04.	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	दीपका, आबकारी वृत्त बांकीमोंगरा एवं दीपका
05.	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	दर्री, आबकारी वृत्त कटघोरा, आबकारी वृत्त दर्री–गेवरा
06.	कु. प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	कुसमुंडा, पाली, हरदीबाजार
07.	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	कटघोरा, पसान, बांकीमोंगरा, बांगो

टीप :– न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश की दशा में दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 22.06.2026 के तालिका क्रमांक 01 में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि दांडिक कार्य विभाजन आदेश में उन्हें आबंटित थाना न हो और यदि ऐसा होता है तो उनके अगले क्रम के प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

22/06/2026

(कु. मयूरा गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ0ग0)

Principal District & Sessions Judge
Korba (C.G.)